नागरिकों के काम बिना किसी परेशानी के समयबद्ध तरीके से किए जाएं : टी.सी. गुप्ता

- विभिन्न विभागों की 546 सेवाएं सेवा अधिकार अधिनियम में अधिसूचित
- निर्धारित समयावधि में काम न करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर लगाया जाएगा जुर्माना : मुख्य आयुक्त

एकदिवसीय सैमीनार में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम के मुख्य आयुक्त। (छाया)

फतेहाबाद, 15 सितम्बर (ब्यूरो): प्रदेश सरकार और सेवा अधिकार आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि आमजन को सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का पूरा लाभ समयबद्ध तरीके से मिले। लोगों के काम बिना किसी परेशानी के समय पर तथा उनकी संतुष्टि के साथ किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती बरतेगा। यह बात हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने बुधवार को क्रिसेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन फतेहाबाद में आयोजित एकदिवसीय सैमीनार में अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कही।

मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने कहा कि सरकारी विभाग अपने यहां राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय अवधि में देना सुनिश्चित करें। अधिकारी अपने कार्यालय के बाहर तथा ऐसे स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड लगवाएं, जहां लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत अधिक होती हो। डिस्प्ले बोर्ड पर संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचित सेवाओं की समयावधि सहित उनसे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 31 विभागों की 546 सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 277 सेवाएं ऑनलाइन हैं। शेष सेवाओं को भी ऑनलाइन किया जाएगा। इन सेवाओं की प्राप्ति में लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। निर्धारित समय-सीमा में लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसकी उल्लंघना करने वाले अधिकारी-कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी पर तीन बार जुर्माना लगता है तो आयोग उसे सरकारी सेवा से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। ढिलमुल रवैया अपनाने वाले अधिकारियों की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा।

अधिकारी लोगों को सेवाओं का लाभ समयबद्ध प्रदान करें: गुप्ता ने कहा कि कुछ सेवाओं में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त तथा अतिरिक्त उपायुक्त और एस.डी.एम. होते हैं, जिन्हें स्वयं भी जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु कुछ मामलों में इन पर भी आयोग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2022 में अधिसूचित सेवाओं में विस्तार किया जाएगा, ताकि लोगों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध करते हुए चेतावनी भी दी कि वे प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से लोगों को सेवाओं का लाभ प्रदान करें।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जिले के स्कोर में वृद्धि करें। 1 जनवरी, 2022 को जिला का स्कोर 9.9 होना चाहिए। टी.सी. गुप्ता ने सैमीनार के दौरान नागरिकों को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की और नागरिकों से भी सेवाओं बारे फीडबैक लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले की रैंकिंग में सुधार के लिए कटिबद्ध रहें। रैंकिंग में जिले का स्कोर 10 में से 9.5 से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही लोगों से सेवाओं के संदर्भ में मिलने वाली फीडबैक में 5 में से 4 अंक अवश्य होने चाहिएं।

हिसार मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष आर.टी.एस. के तहत दी जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ देने में देरी न करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आज के कार्य को कल पर न छोड़ें। मंडलायुक्त ने कहा कि सरकार ने जनता के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का लाभ नागरिकों को देना अधिकारियों का परम कर्त्तव्य है। सैमीनार में नगराधीश ने सरल पोर्टल के माध्यम से जिले में नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की विभागीय स्तर पर की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य एडवोकेट प्रवीण जोड़ा ने भी जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा धर्मशाला रोड पर बनाए गए सीवरेज का अधिकारियों द्वारा लोगों की प्रार्थना पत्रों को अनावश्यक ऑब्जेक्शन लगाकर रद्द करने का मुद्दा उठाया।

इस मौके पर हिसार मंडलायुक्त चंद्रशेखर, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, ए.डी.सी. अजय चोपड़ा, आर.टी.ए. सचिव शालिनी चेतल, आयोग की सचिव मिनाक्षी राज, जिला सी.ई.ओ. कुलभूषण बंसल, एस.डी.एम. राजेश कुमार, भारत भूषण कौशिक, जिला [illegible] डी.डी.पी.ओ. [illegible] एस.जी.डी.ए. रितिका [illegible], बी.ई.ओ. दयानंद सिहाग, डी.डी.ए.एच. डॉ. काशी राम, रितु भाल आदि मौजूद थे।